Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 4, Issue 1 - 2019

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायालयीन घोषणाएं

मनोज कुमार सिंह*

शोधसार

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को असीमित नहीं माना जाता। भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण देश की संप्रभुता एवं अखंडता, देश की सुरक्षा, मित्र देशों के साथ संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता या किसी व्यक्ति के मान-सम्मान पर आंच आती हो या अदालत की मानहानि होती हो या किसी अपराध के लिए उकसाया जाता हो तब उस पर "विवेकसम्मत प्रतिबंध " लगाए जा सकते हैं।

इस संवैधानिक प्रावधान की आड़ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य, संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा लगातार हमले किए जाते रहे हैं और ये हमले आज भी जारी हैं। इन हमलों का शिकार लेखक, इतिहासकार, पत्रकार, चित्रकार, कार्टूनिस्ट, फ़िल्मकार और उनकी कृतियांहोते हैं। पत्रकारों पर अदालतों में मानहानि के मुकदमे दायर करके परेशान करना आम बात है।

देखा जाए तो प्रशासन और राजनैतिक दबाव के आगे पत्रकारिता घुटनेटेकते हुएदिखायी नजर आती है, लेकिन शुक्रहै भारतीय न्याय व्यवस्था का जिसने पत्रकारिता की परिभाषा को समय-समय पर संवैधानिक प्रावधानों के जरिए देश के सामने रखा है। भारतीय न्यायालयों ने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिससे पत्रकारिता को संविधान में स्थायी स्थान मिला है और यही वजह है कि आज वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहीत है।

मूलशब्द: पत्रकारिता, भारतीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संविधान, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति।

प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में न्यायालय की घोषणाएं

1. **साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ[1]:** इस मामले में दैनिक समाचार पत्र (कीमत एवं पृष्ठ), आदेश 1960, जिसके द्वारा अखबारों के पृष्ठ की अधिकतम संख्या और उनका मूल्य निर्धारण किया जाता था, को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचताहै। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत पिटीशनर अपने समाचार पत्रों का मूल्य तो बढ़ा सकते थे, लेकिन उनकी पृष्ठ संख्या को नहीं बढ़ा सकते थे। पिटीशनरों के अनुसार बिना पृष्ठ संख्या के बढ़े दामों में वृद्धि हो जाने से उनका परिचालन कम हो जाता है। क्योंकि उनको लोग कम खरीदते हैं तथा पृष्ठ संख्या घटा देने से उनके समाचारों के प्रकाशन के लिए कम स्थान मिल पाता है। इस प्रकार सरकारी आदेश एक दोधारी छुरी का काम करता है। सरकार ने आदेश के पक्ष में तर्क दिया कि इसका उद्देश्य समाचार पत्रों में व्यापारिक विज्ञापन के स्थानों को विनियमित

[1] AIR 1962 SC 305

*शोधार्थी, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा। **Correspondence E-mail Id:** editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

करना है तथा छोटे और नवचालित समाचार पत्रों को संरक्षण प्रदान करना भी है। न्यायालय ने सरकार के इस तर्क को अस्वीकार करते हु ए उक्त आदेश को अवैध घोषित कर दिया। उसने कहा कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी नागरिक के व्यापारिक क्रिया कलाप पर निर्बंधन लगाने के उद्देश्य से छीना नहीं जा सकता है।

2. **रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य[2]:** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने ही विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता कर सीमित नहीं है, इसमें दूसरों के विचारों के प्रसार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी शामिल है, जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव है।
3. **प्रभुदत्त बनाम भारत संघ[3]:** इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता में संसूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार भी शामिल है।
4. **ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य[4]:** के मामले में दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1949 की धारा 7 के अंतर्गत दिल्ली के एक साप्ताहिक समाचार पत्र पर यह सेन्सर लगाया कि वह उन सभी प्रकार के साम्प्रदायिक मामलों या पाकिस्तान से संबंधित समाचारों आदि को जो सरकारी न्यूज एजेन्सियों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं, प्रकाशित करने के पूर्व सरकार की अनुमति प्राप्त करे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाचार पत्र पर सेन्सर लगाना प्रेस की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध है, इसलिए सरकार का आदेश असंवैधानिक है।
5. **इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर प्रा. लि. बनाम भारत संघ[5]:** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी समाचार पत्र को तत्कालीन महत्व के विषय पर अपने विचार प्रकाशित करने से रोकना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक गंभीर अतिक्रमण है।
6. **बेनेट कोलमेन एंड कंपनी लि. बनाम भारत संघ[6]:** के मामले में सरकार की सन् 1972-73 की अखबारी कागज नीति और अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 1962 की वैधता को चुनौती दिए जाने पर, जब सरकार ने अखबारी कागज की कमी के आधार पर और इस आधार पर कि बड़े बड़े दैनिक अखबार विज्ञापनों के लिए अखबार के बहु तअधिक स्थान का उपयोग करते हैं, समायोजन कर लें तो पृष्ठों में की गई कटौती से उन्हें हानि नहीं होगी। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अखबारों के लिए आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन है। पृष्ठों को घटाने के कारण उन्हें विज्ञापन बढ़ाना पड़ेगा जिससे समाचारों को कम स्थान मिलेगा, इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती है और अखबारों को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए न्यायालय ने सरकार की अखबारी कागज नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
7. **एम.सी.आई. बनाम मनुभाई[7]:** के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन उन्हीं आधारों पर लगाए जा सकते हैं, जो कि अनु. 19 में उल्लिखित हैं। अन्य किसी आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन नहीं लगाए जा सकते हैं।
8. **डाइरेक्टर जनरल दूरदर्शन बनाम आनन्द पटवर्धन[8]:** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है जिसके अंतर्गत हर प्रकार की सूचना और विचार सीमा के बन्धन से परे मौखिक, लिखित या प्रिन्ट के रुप में प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता है।

[2.] AIR 1950 SC 124
[3.] AIR 1982 SC 61
[4.] AIR 1950 SC 129
[5.] (1985) SC 541
[6.] AIR 1973 SC 106
[7.] (1992) 3 SCC 63

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

9. **प्रिन्टर्स मैसूर लि. बनाम कामर्शियल टैक्स अधिकारी[9]:** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता अन्य स्वतंत्रताओं से उच्च स्तर की है। अतः उस पर लगाने वाले कानून की वैधता की जांच की कसौटी अन्य से पृथक होनी चाहिए।

भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में न्यायालय की घोषणाएं-

1. **इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर बनाम भारत संघ[10]**: इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चार विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करती है-
   - यह व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक है।
   - सत्य की खोज में सहायक है।
   - व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है।
   - यह स्थिरता तथा सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है।
2. **रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य[11]:** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने ही विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता कर सीमित नहीं है, इसमें दूसरों के विचारों के प्रसार एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी शामिल है, जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव है।
3. **साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ[12]:** के मामले में दैनिक समाचार पत्र (कीमत एवं पृष्ठ), आदेश 1960, जिसके द्वारा अखबारों के पृष्ठ की अधिकतम संख्या और उनका मूल्य निर्धारण किया जाता था, को इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचताहै। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत पिटीशनर अपने समाचार पत्रों का मूल्य तो बढ़ा सकते थे, लेकिन उनकी पृष्ठ संख्या को नहीं बढ़ा सकते थे। पिटीशनरों के अनुसार बिना पृष्ठ संख्या के बढ़े दामों में वृद्धि हो जाने से उनका परिचालन कम हो जाता है। क्योंकि उनको लोग कम खरीदते हैं तथा पृष्ठ संख्या घटा देने से उनके समाचारों के प्रकाशन के लिए कम स्थान मिल पाता है। इस प्रकार सरकारी आदेश एक दोधारी छुरी का काम करता है। सरकार ने आदेश के पक्ष में तर्क दिया कि इसका उद्देश्य समाचार पत्रों में व्यापारिक विज्ञापन के स्थानों को विनियमित करना है तथा छोटे और नवचालित समाचार पत्रों को संरक्षण प्रदान करना भी है। न्यायालय ने सरकार के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए उक्त आदेश को अवैध घोषित कर दिया। उसने कहा कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी नागरिक के व्यापारिक क्रिया कलाप पर निर्बंधन लगाने के उद्देश्य से छीना नहीं जा सकता है।
4. **अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ[13]:** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर पूर्ण अवरोध किशोर व्यक्तियों की निर्दोषिता की रक्षा हेतु नहीं लगाया जा सकता। किसी भी समाचार पर समग्र रुप से विचार किया जाना चाहिए। उसे अलग रुप से नहीं देखा जा सकता।

चल चित्रों पर सेंसर के संबंध में न्यायालय की घोषणाएं

के एन अब्बास बनाम भारत संघ14: के मामले में सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1952 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, क्योंकि यह धारा फिल्मों के प्रदर्शन पर सेंसर का उपबंध करती थी, जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। उच्चतम न्यायालय ने सेन्सर को लोकहित में संवैधानिक घोषित किया।

---

8. (2006) 8 SCC 433
9. (1994) 2 SCC 434
10. (1985) SCC 641
11. AIR 1950 SC 124
12. AIR 1962 SC 305

विज्ञापन के अधिकार के संबंध में न्यायालय की घोषणाएं

हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ15: के मामले में सरकार ने औषधि और जादू उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य औषधियों के विज्ञापन को नियंत्रित करना और बीमारियों को अच्छा करने के लिए जादू के गुण वाली औषधियों के विज्ञापन को निषद्ध करना था। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को वैध घोषित करते हु एकहा कि विज्ञापन अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है, फिर भी प्रत्येक विज्ञापन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं होता है। प्रस्तुत मामलों में विज्ञापन विचारों के प्रसार से नहीं, बल्कि विशुद्ध रुप से व्यापार एवं वाणिज्य से सम्बन्धित है। निषिद्ध औषधियों का विज्ञापन अनु. 19(1) (क) के क्षेत्र में बाहर है और एसे विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

ये सही है कि न्यायालय ने मीडिया को भारत में जीवित रखा है, लेकिन ये भी सही है कि मीडिया अब खुद को ही न्यायालय समझने की भूल करने लगा है। अक्सर हम देखने लगे हैं कि मीडिया ट्रायल के नाम पर न्यायालय में गए मामलों में पहले ही फैसला सुनाने लगता है, बिना कोर्ट के फैसले के ही मीडिया किसी को भी आरोपी बताने से गुरेज नहीं करता है, जो नैतिकता के मूल्यों के खिलाफ है। इससे आम जनमानस के मन में कोर्ट के ट्रायल से पहले ही मीडिया द्वारा बताए गए व्यक्ति को आरोपी समझ लिया जाता है वर्तमान में मीडिया न्यायालय की वजह से ही सुरक्षित है, ऐसी स्थिति में मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी का वहन करना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

संदर्भ सूची

[1]. पांडेय, जय नारायण, डॉ; भारत का संविधान, 44वां संस्करण 2011, सेंट्रल ला एजेंसी.
[2]. बावेल, बसन्ती लाल, डॉ; भारतीय दंड संहिता, 1860, 21वां संस्करण, सेंट्रल ला एजेंसी.
[3]. भारत का संविधान (बेयर एक्ट), 1949, एक्सेस पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2014.
[4]. भारतीय दंड संहिता (बेयर एक्ट), 1860, एलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन, 2016.

[13]. AIR 2007 SC 493
[14]. AIR 1971 SC 481
[15]. AIR 1960 SC 354

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501